

अभियान-2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय

प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय

पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 02.11.21 को

ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पेश हो।

सहायक कलेक्टर,  
(एसडीओ) बाड़मेर

02.11.21

आज यह पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

कैम्प कोर्ट स्थल ग्राम पंचायत पर पेश हुई समस्त

पक्षकारान उपस्थित नहीं होने से तथा आपस में राजीनामा नहीं

होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 08.02.22 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर,  
(एसडीओ) बाड़मेर

08/02/22

पत्रावली आज पेश हुई।

राजस्थान में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को  
दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी  
माईड लाईन, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर  
द्वारा जारी परिपत्र एवं राजस्व मण्डल राजस्थान  
अजमेर द्वारा जारी परिपत्र की पालना में न्यायालय  
का कार्य स्थगित होने से ईत्बा होकर पत्रावली  
दिनांक 08/02/22 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

10/05/2022 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्राप्ति उपस्थित।  
अप्रार्थीगण अनुपस्थित। वकील प्राप्ति का कथन है  
कि यह प्रकरण तरन्नीय मुद्दे के लिए पेश किया  
था, जिसकी तरन्नीय प्रणाली गांवों के संग अभियान  
क्रम के दौरान ही चुदी है अतः उक्त आवेदन  
की कार्यवाही को अभी नहीं चलाना चाहते हैं  
आवेदन विहीन करवाना चाहते हैं, वकील प्राप्ति  
के निवेदन को स्वीकार किया जाकर विद्वा  
की अनुमति ही प्राप्ति है पत्रावली केवल  
मुकदमा ही न ले कम है, कम-दावेदन  
दस्तावेज है

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

Handwritten notes on the right margin, including the name 'Ramesh' and other illegible text.